58

नि-2931-II-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

1– विजय सिंह पुत्र श्री ढलुआराम
2– भगवान सिंह पुत्र श्री ढलुआराम
निवासी – अमरपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

नन्दकिशोर पुत्र श्री हरगोविन्द जैन
निवासी – नरवर तहसील – नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/2015–16/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, तहसीलदार तहसील नरवर द्वारा आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, तहसीलदार नरवर के समक्ष अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में आवेदकगण की ओर से एक प्राथमिक आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की गयी थी। कि अनावेदक द्वारा जिस सीमांकन को आधार बनाकर धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया है, वह सीमांकन आवेदकगण की अनुपस्थिति में किया गया है, अतः ऐसे सीमांकन को आधार बनाकर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक आपत्ति पर विचार किये बिना जो आदेश एवं कार्यवाही की जा रही है वह

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 2931-II/16 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/12/17	आवेदक अभि. श्री के.के. त्रिवेदी एवं अनावेदक की ओर से अभि. श्री एम.पी. धाकड़ उप. आवेदक अभि. ने प्रकरण नोट-प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया। अनावेदक अभि. को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रकरण आवेदक अभि. के निवेदनपर नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) प्रशा. सदस्य	Not Pressed (हस्ताक्षर) 21/12/17

[कृ. प. उ.